कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 27.9.2017

प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2017 को सांय 5.00 बजे आयोजित एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक मे मेसर्स नवभारत बिल्डकॉन प्रा.लि., जयपुर रोड, मदनगंज, किशनगढ, राजस्थान अनुबन्ध संख्या 8/2013–14 कन्स्ट्रक्शन ऑफ बेलेन्स वर्क ओफ आकोदडा डेम अन्डर देवास II, पंचायत समिति, झाडोल, जिला उदयपुर क्लाज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियो ने भाग लियाः–

1. श्री राजेन्द प्रसाद गुप्ता संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. श्री कृष्ण चन्द्र कुमावत, वित्तीय सलाहकार, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्री एम.आर.डूडी, अतिरिक्त सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज. जयपुर
4. श्री राजेश टेपण, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर

विभाग की ओर से श्री हेमन्त पनडिया, अधिशाषी अभिचयन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर एवम् संवेदक श्री अशोक कुमार उपस्थित हुए ।

कार्य का संक्षिप्त विवरणः–

कन्स्ट्क्शन ऑफ बेलेन्स वर्क ओफ आकोदडा डेम अन्डर देवास II, पंचायत समिति, झाडोल, जिला उदयपुर का कार्य डिपोजिद मद में स्वीकृत है। उक्त कार्य शिड्युल "जी" राशि रू. 125536164.00 पर 137 प्रतिशत अधिक दर पर राशि रू. 297520709.00 का मैसर्स नवभारत बिल्डकॉन प्रा.लि., जयपुर रोड, मदनगंज, किशनगढ को अनुबन्ध संख्या 8/2013–14 के तहत आवंटित किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 15.9.2013 एवम् कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि 14.12.2014 वर्षा ऋतु सहित निर्धारित की गई थी। संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु संबंधित सहायक अभियन्ता से सम्पर्क कर कार्य का ले आउट लेकर कार्य निर्धारित दिनांक को प्रारम्भ किया एवम् संलग्न समयावधि प्रकरण के आधार पर कार्य स्थल पर आई विभिन्न बाधाओ के चलते कार्य दिनांक 17.5.2015 को पूर्ण किया गया।

संविदा के अनुसार संवेदक को राशि रूपये 297520709/– का कार्य 456 दिवस में पूर्ण करना था। संवेदक ने राशि 256189005/– का कार्य 610 दिवस में करते हुए कार्य पूर्ण किया। कार्य पर हुई कुल बाधाओं में से 29 दिवस की बाधा संवेदक के भाग पर मानते हुए उक्त कार्य का समयावधि प्रकरण उप शासन सचिव वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर के पत्र कमांक F.2(3)AS/I/Cell/ 13/ 6669 दिनांक 5.12.2016 से कार्य पूर्णता दिनांक 17.5.2015 तक क्षतिपूर्ति राशि रू. 1049285.00 के साथ स्वीकृत किया गया ।

संवेदक द्वारा उप शासन सचिव वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर के पत्र कमांक ंक F.2(3)AS/I/Cell/ 13/ 6669 दिनांक 05.12.2016 से कार्य पूर्णता दिनांक दिनांक 17.5.2015 तक क्षतिपूर्ति राशि रू. 1049285.00 के साथ स्वीकृत प्रकरण को विवादित करते हुए अनुबन्ध के क्लाज 23 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में क्लेम कमेटी के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत किये गये है ।

कमेटी ने अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवम् अभिलेख का अवलोकन किया एवं दोनों पक्षों द्वारा क्लेम के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत कथन को सुना जाकर क्लेम का निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

1. क्षतिपूर्ति के साथ स्वीकृत समयावधि प्रकरण की काटी गई राशि पुनः दिलाने बाबत् :–

संवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूर्ति के लिये काटी गई राशि रू. 1049285.00 कार्य करने हेतु लगे अतिरिक्त समय 29 दिन को विभिन्न बाधाओं में बाधित अवधि संवेदक के भाग पर मान कर लगाई गई है जो कि उचित नहीं है।

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर ने कमेटी को अवगत कराया कि समयावधि प्रकरण का परीक्षण प्रशासनिक विभाग स्तर पर करते हुए कार्य पर हुई कुल बाधाओं में से गुणावगुण के आधार पर मात्र 29 दिवस की बाधा ही संवेदक के भाग पर मानकर नियमानुसार क्षतिपूर्ति आरोपित की गई है।

कमेटी के समक्ष प्रस्तुत तथ्यो एवं अभिलेख के आधार पर कमेटी द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम बिन्दु संख्या 1 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(राजेश टेपण) अति.मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर	(एम.आर.खूडी) अति. सचिव एवम् मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज. जयपुर	(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता) संयुक्त विधि परामर्शी, प्रतिनिधि विधि विभाग	(कृष्ण चन्द्र कुमावत) वित्तीय सलाहकार प्रतिनिधि वित्त विभाग	(शिखर अग्रवाल) प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर